



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 20, 2018/भाद्र 29, 1940

No. 667]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 20, 2018/BHADRA 29, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 903(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श करते हुए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) द्वितीय संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के “उपाबंध” में “ख. भारतीय लेखा मानक (इंडिएएस)” के अधीन

क. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 20” में,-

(1) पैरा 23-28 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“23. एक सरकारी अनुदान गैर-मौद्रिक आस्ति के अंतरण का प्ररूप ले सकता है जैसे कि इकाई के उपयोग के लिए भूमि या अन्य संसाधन। इन परिस्थितियों में, आमतौर पर गैर-मौद्रिक आस्ति का निर्धारण उचित मूल्य पर किया जाता है और अनुदान तथा आस्ति दोनों का लेखा उचित मूल्य पर किया जाता है। कभी-कभी अनुकल्प अनुक्रम में आस्ति और अनुदान दोनों को नाममात्र रकम पर रिकार्ड करने की प्रक्रिया अपनायी जाती है।

24. उचित मूल्य पर गैर-मौद्रिक अनुदानों सहित आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को तुलन-पत्र में अनुदान को या तो अस्थागित आय के रूप में या फिर अनुदान को घटाकर आस्ति को अग्रणीत राशि पर स्थापित कर प्रस्तुत किया जाएगा।

25. आस्तियों से संबंधित अनुदानों या अनुदानों के विनियोजित भागों के वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति की दो विधियों को स्वीकार्य विकल्प माना जाता है।
26. एक विधि अनुदान को अस्थगित आय के रूप में मान्यता देती है जिसे लाभ या हानि में आस्ति के उपयोगी जीवन में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है।
27. दूसरी विधि में आस्ति की अग्रणीत राशि की गणना के लिए अनुदान को घटाया जाता है। मूल्य ह्रास योग्य आस्ति के जीवनकाल के दौरान अनुदान को लाभ या हानि में घटाये गये मूल्यह्रास व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
28. आस्तियों के क्रय और संबंधित अनुदानों की प्राप्ति एक इकाई के नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) में प्रमुख संचलन उत्पन्न कर सकते हैं। इस कारण और आस्तियों के सकल निवेश को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के संचलन नकदी प्रवाह विवरण में प्रायः पृथक मदों के रूप में प्रकट किये जाते हैं चाहे तुलनपत्र में प्रस्तुति प्रयोजनों के लिए संबंधित आस्ति से अनुदान को घटाया जाता है या नहीं।”;

(ii) पैरा 32-33 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्:-

- “32. एक सरकारी अनुदान जब प्रतिसंदाय योग्य बन जाता है लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन के रूप में (देखें भारतीय लेखा मानक 8, लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां) किया जाएगा। आय से संबंधित अनुदान के प्रतिसंदाय को पहले अनुदान के संबंध में मान्य किसी गैर-परिशोधित अस्थगित क्रेडिट पर लागू किया जाएगा। उस सीमा तक जब प्रतिसंदाय इस प्रकार के अस्थगित क्रेडिट से बढ़ जाए या जब कोई अस्थगित क्रेडिट विद्यमान ही न हो, तब प्रतिसंदाय को लाभ या हानि में तत्काल मान्यता दी जाती है। आस्ति से संबंधित अनुदान के प्रतिसंदाय को आस्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि करके या प्रतिसंदेय रकम में से अस्थगित आय शेष घटाकर मान्यता दी जाएगी। अनुदान की अनुपस्थिति में लाभ या हानि में आज तक संग्रहित अतिरिक्त मूल्य ह्रास लाभ या हानि में तत्काल मान्य होगा।
33. आस्ति से संबंधित अनुदान के प्रतिसंदाय को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां आस्ति की नवीन अग्रणीत राशि की संभावित क्षतिग्रस्तता पर विचार करना अपेक्षित हो सकता है।”;

(iii) पैरा 39 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा को अंतर्लिखित किया जाएगा, अर्थात्:-

“40*

“प्रभावी तिथि

- | | |
|----|---|
| 41 | * |
| 42 | * |
| 43 | * |
| 44 | * |
| 45 | * |
| 46 | * |
| 47 | * |
| 48 | * |

48क पैरा 23-24, पैरा 26, पैरा 28 और 32 संशोधित किए गए हैं और पैरा 25, पैरा 27, पैरा 33 और पैरा 40-48क जोड़े गए हैं जिससे गैर-मौद्रिक सरकारी अनुदानों को नाममात्र मूल्य पर रिकार्ड करने और आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों की आस्ति की अग्रणीत राशि में से उसे घटाकर प्रस्तुति की जाने के विकल्प की अनुमति दी जा सके। एक इकाई इन संशोधनों को 01 अप्रैल, 2018 से प्रारंभ होने वाली या इसके बाद की वार्षिक अवधियों पर लागू होगा।”

(iv) परिशिष्ट 1 में,-

* परिशिष्ट 1 में निर्दिष्ट

(क) पैरा 1- पैरा 2 का लोप किया जाएगा:

(ख) पैरा 5 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतलिखित की जाएगी, अर्थात्:-

“6. अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक आईएएस 20 का पैरा 40 जो संक्रमणकालीन उपबंधों से संबंधित है, को भारतीय लेखा मानक 20 में सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय लेखा मानक 101 जो भारतीय लेखा मानक का प्रथम अंगीकरण है, में संगत समझे जाने वाले संक्रमणकालीन उपबंध पहले से शामिल हैं।

7. अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आईएएस) 20, के प्रभावी तिथि विषयक पैरा 41-48 भारतीय लेखा मानक 20, में इस आशय से सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि वे भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं।”

(ख). “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 12” में,-

(i) पैरा 33 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“33. कोई मामला, जब एक आस्थगित कर आस्ति किसी आस्ति की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न होता है जब आस्ति से संबंधित गैर कर-योग्य सरकारी अनुदान आस्ति की अग्रणीत रकम निकालने के लिए घटाया जाता है लेकिन कर प्रयोजनों के लिए उसे आस्ति की मूल्यहास-योग्य राशि (दूसरे शब्दों में, इसके कर आधार) में से घटाया नहीं जाता है; आस्ति की अग्रणीत राशि इसके कर आधार से कम होती है और इसके परिणामस्वरूप कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है। सरकारी अनुदान भी एक अस्थगित आय के रूप में स्थापित किये जाते हैं और ऐसे मामले में आस्थगित आय और इसके शून्य कर आधार के बीच का अंतर एक कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर है। इकाई प्रस्तुतिकरण की किसी भी रीति को अपनाएं, वह (इकाई) पैरा 22 में दिये कारण के परिणामस्वरूप आस्थगित कर आस्ति को मान्यता नहीं देता है।”;

(ii) परिशिष्ट 1 में पैरा 7 को लोप किया जाएगा;

ग. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 16” में,-

(i) पैरा 28 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“28. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 20, सरकारी अनुदानों का लेखा एवं सरकारी सहायता का प्रकटन के अनुसरण में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक पैरा की अग्रणीत राशि में से सरकारी अनुदानों को घटाया जाएगा।”;

(ii) परिशिष्ट 1 में पैरा 3 को लोप किया जाएगा।

घ. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 38” में,-

(i) पैरा 44 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“44 कुछ मामलों में, किसी अमूर्त आस्ति को निःशुल्क या नाम मात्र के मूल्य पर अर्जित किया जा सकता है जो सरकारी अनुदान के रूप में हो सकती है। यह तब हो सकता है जब सरकार किसी इकाई को अमूर्त आस्तियां जैसे विमानपत्तन पर उतरने के अधिकार, रेडियो या टेलीविज़न स्टेशन चलाने की अनुज्ञप्ति, आयात अनुज्ञप्ति या कोटा या अन्य प्रतिबंधित संसाधनों तक पहुंचने का अधिकार देती है। भारतीय लेखा मानक 20, सरकारी अनुदानों का लेखा एवं सरकारी सहायता का प्रकटन के अनुसार कोई इकाई अमूर्त आस्तियों या अनुदान को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता देने के लिए चयन कर सकता है। यदि कोई इकाई प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता न देने के लिए चयन करता है तो वह (इकाई) उस आस्ति को प्रारंभ में नाममात्र रकम जिसकी भारतीय लेखा मानक 20 द्वारा, एक अन्य उपचार के रूप और कोई व्यय की राशि को जोड़कर मान्यता देता है जो उस आस्ति को बांछित प्रयोग में लाने के लिए तैयार करने पर प्रत्यक्षतया खर्च होती है।”;

(ii) पैरा 77 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“77. पुनर्मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग किसी आस्ति की प्रारंभिक लागत पर प्रारंभिक मान्यता के बाद किया जाता है। तथापि, यदि किसी अमूर्त आस्ति की लागत के भाग को ही आस्ति के रूप में मान्यता दी गयी हो क्योंकि वह आस्ति तब तक मान्यता के मानदंडों को पूरा नहीं करती थी जब तक उसका कोई भाग इस प्रक्रिया में से न गुजरा हो (देखें पैरा 65) तो पुनर्मूल्यांकन मॉडल को पूरी आस्ति पर लागू किया जा सकता है। साथ ही पुनर्मूल्यांकन मॉडल उस अमूर्त आस्ति पर

भी लागू किया जा सकता है जो सरकारी अनुदान के रूप में प्राप्त होती है और नाममात्र राशि (पैरा 44 देखें) पर मान्य होती है“;

(iii) परिशिष्ट 1 में पैरा 1 को लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 01/01/2009-सीएल.V (पार्ट.VII)]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 16 फरवरी, 2013 संख्यांक सा.का.नि.111(अ) तारीख 16 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.365(अ) तारीख 30 मार्च, 2016 संख्यांक सा.का.नि. 250 (अ), तारीख 17 मार्च, 2017 और संख्यांक सा.का.नि. 310(अ) तारीख 28 मार्च, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2018

G.S.R. 903(E).—In exercise of the powers conferred by section 133 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and sub-section (1) of section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government, in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Companies (Indian Accounting Standards) Second Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the principal rules), in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”,—

(a) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 20”, -

(i) for paragraphs 23-28, the following paragraphs shall be substituted, namely:—

“23 A Government grant may take the form of a transfer of a non-monetary asset, such as land or other resources, for the use of the entity. In these circumstances, it is usual to assess the fair value of the non-monetary asset and to account for both grant and asset at that fair value. An alternative course that is sometimes followed is to record both asset and grant at a nominal amount.

24 Government grants related to assets, including non-monetary grants at fair value, shall be presented in the balance sheet either by setting up the grant as deferred income or by deducting the grant in arriving at the carrying amount of the asset.

25 Two methods of presentation in financial statements of grants or the appropriate portions of grants related to assets are regarded as acceptable alternatives.

26 One method recognises the grant as deferred income that is recognised in profit or loss on a systematic basis over the useful life of the asset.

27 The other method deducts the grant in calculating the carrying amount of the asset. The grant is recognised in profit or loss over the life of a depreciable asset as a reduced depreciation expense.

28 The purchase of assets and the receipt of related grants can cause major movements in the cash flow of an entity. For this reason and in order to show the gross investment in assets, such movements are often disclosed as separate items in the statement of cash flows regardless of whether or not the grant is deducted from the related asset for presentation purposes in the balance sheet.”;

(ii) for paragraphs 32-33, the following paragraphs shall be substituted, namely:—

“32 A Government grant that becomes repayable shall be accounted for as a change in accounting estimate (see Ind AS 8, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors). Repayment of a grant related to income shall be applied first against any unamortised deferred credit recognised in respect of the grant. To the extent that

the repayment exceeds any such deferred credit, or when no deferred credit exists, the repayment shall be recognised immediately in profit or loss. Repayment of a grant related to an asset shall be recognised by increasing the carrying amount of the asset or reducing the deferred income balance by the amount repayable. The cumulative additional depreciation that would have been recognised in profit or loss to date in the absence of the grant shall be recognised immediately in profit or loss.

- 33 Circumstances giving rise to repayment of a grant related to an asset may require consideration to be given to the possible impairment of the new carrying amount of the asset.”;

(iii) after paragraph 39, following shall be inserted, namely:-

“40 *Refer Appendix 1

“Effective date

41 *

42 *

43 *

44 *

45 *

46 *

47 *

48 *

48A Paragraphs 23-24, 26, 28 and 32 are amended, and paragraphs 25, 27, 33 and 40-48A have been added to allow the option of recording of non-monetary government grants at nominal value and presentation of government grants related to assets by deducting the same from the carrying amount of the asset. An entity shall apply these amendments for the annual periods beginning on or after April 1, 2018.”;

(iv) In Appendix 1,-

(A) paragraphs 1 and 2 shall be omitted;

(B) after paragraph 5, the following paragraphs shall be inserted, namely:-

“6 Paragraph 40 of IAS 20 related to transitional provisions has not been included in Ind AS 20 since transitional provisions considered relevant have been included in Ind AS 101, First Time Adoption of Indian Accounting Standards.

7 Paragraphs 41-48 of Effective date of IAS 20 have not been included in Ind AS 20 since these are not relevant in Indian context.”.

(b) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 12”, -

(i) for paragraph 33, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“33 One case when a deferred tax asset arises on initial recognition of an asset is when a non-taxable Government grant related to an asset is deducted in arriving at the carrying amount of the asset but, for tax purposes, is not deducted from the asset’s depreciable amount (in other words its tax base); the carrying amount of the asset is less than its tax base and this gives rise to a deductible temporary difference. Government grants may also be set up as deferred income in which case the difference between the deferred income and its tax base of nil is a deductible temporary difference. Whichever method of presentation an entity adopts, the entity does not recognise the resulting deferred tax asset, for the reason given in paragraph 22.”;

(ii) in Appendix 1, paragraph 7 shall be omitted;

(c) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 16”, -

(i) for paragraph 28, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“28 The carrying amount of an item of property, plant and equipment may be reduced by Government grants in accordance with Ind AS 20, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance.” ;

(ii) in Appendix 1, paragraph 3 shall be omitted;

(d) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 38”, -

(i) for paragraph 44, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“44 In some cases, an intangible asset may be acquired free of charge, or for nominal consideration, by way of a Government grant. This may happen when a Government transfers or allocates to an entity intangible assets

such as airport landing rights, licences to operate radio or television stations, import licences or quotas or rights to access other restricted resources. In accordance with Ind AS 20, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance, an entity may choose to recognise both the intangible asset and the grant initially at fair value. If an entity chooses not to recognise the asset initially at fair value, the entity recognises the asset initially at a nominal amount (the other treatment permitted by Ind AS 20) plus any expenditure that is directly attributable to preparing the asset for its intended use.”;

- (ii) for paragraph 77, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“77 The revaluation model is applied after an asset has been initially recognised at cost. However, if only part of the cost of an intangible asset is recognised as an asset because the asset did not meet the criteria for recognition until part of the way through the process (see paragraph 65), the revaluation model may be applied to the whole of that asset. Also, the revaluation model may be applied to an intangible asset that was received by way of a Government grant and recognised at a nominal amount (see paragraph 44).”;

- (iii) in Appendix 1, paragraph 1 shall be omitted.

[F. No. 01/01/2009-CL-V (Part VII)]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 16th February, 2015 vide number G.S.R. 111(E) dated the 16th February, 2015 and were subsequently amended vide notifications number G.S.R. 365 (E), dated the 30th March, 2016, number G.S.R. 258(E), dated the 17th March, 2017 and number G.S.R. 310(E), dated the 28th March, 2018.